media/LKO/00201/2016

GONDA

epaper हिन्दुस्तान

#GetMore Low Fare Sale Up to 20% off Flights within India

JET AIRWAYS Valid up to June 6, 2016 BOOK NOW

एथनॉल उत्पादक मिलों से विस्फोटक लाइसेंस मांगने का मामला

बैकफुट पर पहुंचा आबकारी महकमा

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

एथनॉल का उत्पादन कर रही चीनी मिलों की डिस्टलरियों से एक कथित फर्जी पत्र के आधार पर विस्फोटक का लाइसेंस मांगने का विवाद नित नए रंग पकड़ रहा है। यह विवाद अब न्याय विभाग पहुंच गया है। वहीं आबकारी विभाग के अफसर अब इस मामले में बैकफुट पर हैं।

दरअसल, प्रदेश की 61 चीनी मिलों द्वारा एथनॉल का उत्पादन किया जाता है। आबकारी आयुक्त भवनाथ ने 31 दिसम्बर 2015 को पत्र लिखकर केन्द्र सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले 'पेसो' द्वारा 99.5 फीसदी या उससे अधिक तीव्रता वाले एथनॉल के स्टोरेज, लोडिंग और अनलोडिंग संबंधी मानकों के लिए 31 जनवरी 2016 तक लाइसेंस लेने के निर्देश दिए। इस पत्र में केंद्र द्वारा पहली अक्टूबर 2015 को जारी दिशा निर्देशों और पेट्रोलियम एक्ट का हवाला भी दिया गया था।

आबकारी आयुक्त भवनाथ का कहना है कि 'पेसो' से जारी जिस पत्र के आधार पर इन डिस्टलरियों से लाइसेंस मांगा जा रहा है उसकी तारीख दूसरी हो सकती है मगर पत्र तो जारी हुआ है। उधर, 'पेसो' के चीफ कण्ट्रोलर डा. एस. कमल ने बीती छह मई को इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के डीजी अविनाश वर्मा को पत्र लिखकर यह साफ किया है कि पहली अक्टूबर 2015 को उनके कार्यालय से एथनॉल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी ही नहीं हुई।

आयुक्त ने यह भी कहा कि अगर तय अवधि में लाइसेंस नहीं बनवाए गए तो ऐसी डिस्टलरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनमें से कुछ डिस्टलरियां ऐसे लाइसेंस हासिल कर चुकी हैं और कई डिस्टलरियों के आवेदन पत्र लाइसेंस लेने के लिए विचाराधीन हैं। इस बारे में इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि एथनॉल को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम को झटका देते हुए आबकारी विभाग के अफसरों द्वारा चीनी मिलों का उत्पीड़न किया जा रहा है।

ICICI™ बाइक बिमा

ऑनलाइन खरीदें. भारत का पसंदीदा बीमा !